कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 2283 /12-1, कोटबंगला दिनांक 02 /03 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में मुस्टिकसौड़-कुरोली मोटर मार्ग के कंकराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.163 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0-(FP/UK/ROAD/23851/2017)

सन्दर्भः- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 भटवाडी उत्तरकाशी का पत्रांक-65/(उ0का0) 3भू0अ0 दिनांक 31.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है, कि मुस्टिकसौड़-कुरोली मोटर मार्ग के कंकराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.163 है0 वन भूमि का सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नवत् है।

क्र0स0	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** **(क)**-वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.326 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम गेंवला सिविल सोयम खसरा नं0 1638 रक्वा - 0.688 है0 खसरा नं0-4951 रक्वा-0.627 है0 तथा खसरा नं0-4996 रक्वा-1.00 है0 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें ।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर वानिकी भूमि ग्राम गेंवला सिविल सोयम खसरा नं0 1638 रक्वा - 0.688 है0 खसरा नं0-4951 रक्वा-0.627 है0 तथा खसरा नं0-4996 रक्वा-1.00 है0 कुल रक्वा-2.326 है0 वनीकरण हेतु रू0 7,84,290.00 की धनराषि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या-150896123851309 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्पलेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गई है।(**संलग्नक-1**)
	(ख)- गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline Para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। **(खतौनी की नकल तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का आदेश की छाया प्रति संलग्न-2 व 3)** उक्त सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

P/C

Scanned with OKEN Scanner

	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है **(संलग्नक–4)**।
4.	**शुद्व वर्तमान मूल्य** **(क)**–इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या :202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रांलय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ. सी; (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनाक 03.10.2006 एंव 5–3/2007–एफ.सी. दिनाक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 6.74 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्व वर्तमान मूल्य वसूली करेगी	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 7,64,091.00 NPV की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या–150896123851309 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्पलेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गई है **(संलग्नक–5)**।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा ।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–6)**।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 96 trees से अधिक नही होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) द्वारा चालान तैयार कर रू0 15,48,381.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या–150896123851309 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्पलेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गई है **(संलग्नक–7)**।
8	एफ.आर.ए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा ।	उक्त शर्त के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)**
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाऐ जाएगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा ।

Scanned with OKEN Scanner

	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जायेगा	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी ,विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार ,प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रयोक्ता विभाग से सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नही की गई है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	इस अनुमोदन में, प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार के पूर्वानमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके सं पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक [का]र्यवाही करने की कृपा करें।

[सं]लग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 भटवाडी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना की अनुपालन आख्या अपने स्तर से ऑनलाइन पोर्टल परिवेश में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं॰ 01

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321
E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नहीं बदली जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं० 02

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321
E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि सौंपी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-11-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6123851309
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/100/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bhatwari Distt-UttarkashiUttarkashi
Amount(in Rs)	1548381/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Forty-Eight Thousand Three Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-11-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6123851309
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/100/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bhatwari Distt-Uttarkashi Uttarkashi
Amount(in Rs)	1548381/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Forty-Eight Thousand Three Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Scanned with OKEN Scanner

जनपद उत्तरकाशी में मस्तिकरौड़ - कुरोलीमोमार्ग के कंकराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मो० मार्ग का निर्माण।

Head of Account________ Passed for Rs 1548381=00

02/11/2020

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter X, Paragraphs 284, 290 and 304)

Cash Book Voucher No________ Date________

(1) Pay by Cheque/Cash( )________ to Shri M/s Uttaranchal Campa

(2) Paid by me

RECEIVED from the EE

Incharge of P.D. P.W.D Bhatwari

Sub-Division AE I ________ Division the sum of Rs.(1548381=00

Name of work/purpose for which payment is made मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक एवं वृक्षा रोपण की धनराशि।

Witness Verified JE

Amount in Voucher
Signature of Payee

Prakash

1. Compensatory Afforestation R 784290=00
2. N.P.V R 764091=00

टोटल = 1548381=00

नकल खतौनी (NON.Z.A) ग्राम गेंवला पट्टी भण्डारस्यूँ तहसील-डुण्डा जिला-उत्तरकाशी

मूलेख प्रपत्र सं० प–11

फसली वर्ष 1424 से 1429 तक

	उत्तराखण्ड सरकार	1	1638ग	0.688	✓
	प्रबन्धक वन		1645ग	0.446	
	विभाग		2215ग	0.862	
			4951	0.627	✓
			4996ग	1.000	✓
	खाते का योग –		3	3.623	x-x

असल खतौनी से नकल किया

19-11-16
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र. गेंवला
तहसील डुण्डा

पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 रा०परि० / 26–30–05–2014–50,000 फार्म (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं० 03ग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321
E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पार्श्व शर्त के अनुसार वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं० 4(ख)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4 का "ख")

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रुप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं० 5

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 96 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

बिन्दु सं० 06

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

CERTIFICATE

This is certified that State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one Year from the date of issue of such permisson.

Executive Engineer
PD. P.W.D. Bhatwari

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं० 8

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ0 आर0 ए0 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मुखिमसौड़ -कुरोली मोटर मार्ग के केकराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.163 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भटवाड़ी

उपखण्ड भटवाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मुखिमसौड़-कुरोली मोटर मार्ग के केकराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग (—— हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.163 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.163 हे0 वन भूमि) का लो० नि० वि० भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भटवाड़ी) की दिनांक 16/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के०के० सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री के. के. सिंह उपजिलाधिकारी भटवाड़ी अध्यक्ष
2– श्री आर० बी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू सदस्य
3– श्री अरविन्द कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी भटवाड़ी सदस्य/सचिव
4– श्री दलवीर सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र भटवाड़ी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में मुखिमसौड़-कुरोली मोटर मार्ग के केकराड़ी बैंड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य परियोजना हेतु 1.163 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी..भटवाड़ी.......
उप खण्ड स्तरीय समिति...भटवाड़ी.......

आज दिनांक...16/12/14. को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड.भटवाड़ी. में मुस्टिकसौड़-कुरोली मोटर मार्ग कि.मी. 3.125 से किशनपुर तक मोटर मार्ग. मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ..1.163..... है0 के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी..भटवाड़ी... की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-	श्री के.के. सिंह	उप जिलाधिकारी.भटवाड़ी.	[signature]
2-	श्री आर० बी० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी.. धरासू	[signature]
3-	श्री अरविन्द कुमार	सहायक समाज कल्या अधिकारी.भटवाड़ी.	[signature]
4-	श्री कुलवीर सिंह चौहान	बी0डी0सी0क्षे. पंचायत सदस्य.थलन	[signature]

सदस्य
क्षेत्र पंचायत थलन
वि० ख०-भटवाड़ी
जि० उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भरवारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत एक स्थलीय कि० वि० भरवारी परियोजना के निर्माण हेतु 1.163 हे0 वन भूमि ......A.....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–......भरवारी......
जनपद ......कौशाम्बी......

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...कौशाम्बी...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–......भरवारी......
जनपद......कौशाम्बी......

Annexure-1

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project- Construction of Motor road Mustiksour-Kuroli Motor Road Kankradi Band to Kishanpur.

No....25..............

Dated..23-12-14..

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.163** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Provl. Division P.W.D Bhatwari** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Kankradi** village in **Bhatwari** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.163** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(C.Ravishankar)
District Magistrate,
Uttarkashi.
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **1.163** hect for the construction of **Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhatwari sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated:..23.12.14

(C. Ravishankar)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला – उततरकाशी।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में मुस्टिकसौड़ – कुरोली मोटर मार्ग के कंकराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.163 है0 सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी0 1.50 तक) के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति।

क्र0 सं0	अधिकारी/जिलापंचायत सदस्य का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बी० के० मिश्रा	जिलाधिकारी , उत्तरकाशी ।	[signature] जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2.	श्री विजय बहादुर	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।	[signature] प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग
3.	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी ।	
4.	श्रीमती सीमा राणा	जिला पंचायत सदस्य, उपला बाड़ागड्डी।	सीमा राणा
5.	श्रीमती मंगला राणा	जिला पंचायत सदस्य, नाल्ड कठूड।	[signature]
6.	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य, कन्सैण।	अनिता गुसाई

Scanned with OKEN Scanner

It is certified that- Minutes of meeting of Mustik sour-Kuroli Motor Road Kankradi Band to Kishanpur (1.50 km.) Regarding FRA is as Following:-

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete Process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire 1.163 Het.of forest area proposed for diversion. Acopy of record of all consultaions and meeting of the forest Right Committee (s), Gram Sabha (s), sub division level committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No. ***Objection certificate*** of concernes villages regarding construction of aforesaid Motor road attached.
(c)	The proposai does not innvolce recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricltural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

(B. K. Mishra)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं. ०१

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं 10

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं० 11

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार नहीं बदला जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं 12

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं० 13

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इधन दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं 15

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार परियोजना कार्य के निष्पादन/निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं॰ 16

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बि०सं०17

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नही किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं. 18

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नहीं की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

बिन्दु सं० 19

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लधन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

पिन्दु सं. 20

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने का अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

बिन्दु सं. 21

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगे कि वह अन्य यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वरा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति न होने का अनुपाल किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं. 22

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
Phone & Fax- 01374-244321 E-Mail-eepwd bhatwari @ rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी का अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी